



LIC

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

हँसता खेलता रिटायरमेंट



ऑनलाइन भी उपलब्ध 

हमारे बड़े हुए वार्षिकी दरों के साथ

₹10 लाख और इससे अधिक की खरीद कीमत के लिए,
25 वर्ष से 29 वर्ष की विशेष प्रवेश आयु में भी योजना उपलब्ध है.



निश्चित
वार्षिकी दरें



अनेक वार्षिकी
विकल्प



वार्षिकी भुगतान के
अनेक ज़रिये



जीवन
अक्षय VII

एक नॉन-लिव्ड, असहभागी,
वैयक्तिक तात्कालिक वार्षिकी योजना

UIN: 512N337V06

प्लान नं. 857

डाउनलोड कीजिए
एलआईसी मोबाइल ऐप



विज़िट करें: licindia.in



कॉल सेंटर सर्विस (022) 6827 6827

अधिक जानकारी के लिए अपने एजेंट/नज़दीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें या अपने बहुर का नाम SMS करें 56767474 पर.

हमें फॉलो करें:     LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

ग्रामक फोन कॉल्स और झूठे/घोखाघड़ी वाले ऑफर्स से सावधान रहें, आईएनडीएआई बीमा पॉलिसी बेचने या बीमा की घोषणा करने या प्रीमियम के निवेश जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होता. जनता से निशेदन है कि ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने पर वे पुलिस में शिकायत दर्ज करएं. जोखिम घटकों, नियम व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया विज्ञापन से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.

हमारा वॉट्सएप नं.

8976862090

कहिए
'Hi'

एलआईसी का जीवन अक्षय –VII (UIN: 512N337V06)

(एक असंबद्ध, अप्रतिभागी, वैयक्तिक तत्काल वार्षिकी योजना)

एलआईसी का जीवन अक्षय – VII एक असंबद्ध, अप्रतिभागी, वैयक्तिक, तत्काल वार्षिकी योजना है। इस पॉलिसी की शुरुआत में वार्षिकी की दरें गारंटीड होती हैं और वार्षिकियाँ वार्षिकीधारक के पूरे जीवनकाल में देय होती हैं।

यह एक असहभागी योजना है जिसके अंतर्गत मृत्यु होने या जीवित रहने पर मिलने वाले हितलाभों की गारंटी है तथा निश्चित राशि दी जाती है, वास्तविक अनुभव के बावजूद भी। अतः यह पॉलिसी कोई विवेक आधारित हितलाभ जैसे कि बोनस आदि या अधिशेष राशि में हिस्सा नहीं प्रदान करती है।

इस योजना को अभिकर्ताओं/अन्य मध्यस्थों के माध्यम से ऑफलाइन और साथ ही वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से सीधे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है।

1. प्रमुख विशेषताएँ :

- एकल प्रीमियम तत्काल वार्षिकी योजना
- आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिकी विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला
- निम्नांकित में से चुनने की सुविधा :
 - o एकल जीवन वार्षिकी और संयुक्त जीवन वार्षिकी
 - o वार्षिकी भुगतान की विधि (वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, त्रैमासिक और मासिक)

2. वार्षिकी विकल्प

इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध वार्षिकी विकल्प इस प्रकार हैं:

- विकल्प ए : त्वरित वार्षिकी, जीवन के लिए।
- विकल्प बी : त्वरित वार्षिकी, 5 वर्ष की गारंटीड अवधि के साथ एवं उसके पश्चात आजीवन।
- विकल्प सी : त्वरित वार्षिकी, 10 वर्ष की गारंटीड अवधि के साथ एवं उसके पश्चात आजीवन।
- विकल्प डी : त्वरित वार्षिकी, 15 वर्ष की गारंटीड अवधि के साथ एवं उसके पश्चात आजीवन।
- विकल्प ई : त्वरित वार्षिकी, 20 वर्ष की गारंटीड अवधि के साथ एवं उसके पश्चात आजीवन।
- विकल्प एफ : त्वरित वार्षिकी, आजीवन के लिए, क्रय मूल्य की वापसी के साथ।
- विकल्प जी : त्वरित वार्षिकी, आजीवन के लिए, 3% प्रति वर्ष की सरल दर से वृद्धि।
- विकल्प एच : संयुक्त जीवन त्वरित वार्षिकी, आजीवन के लिए, प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीग्राही को वार्षिकी के 50% के प्रावधान के साथ।
- विकल्प आई : संयुक्त जीवन त्वरित वार्षिकी, आजीवन के लिए, किसी एक वार्षिकीग्राही के उत्तरजीवित रहने तक देय वार्षिकी के 100% के प्रावधान के साथ।
- विकल्प जे : संयुक्त जीवन त्वरित वार्षिकी, आजीवन के लिए, किसी एक वार्षिकीग्राही के उत्तरजीवित रहने तक देय वार्षिकी के 100% एवं अंतिम उत्तरजीवित की मृत्यु पर क्रय मूल्य की वापसी के प्रावधान के साथ।

वार्षिकी विकल्प को एक बार चुन लिए जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता।

3. फ़ायदे :

उपरोक्त विकल्पों के अंतर्गत देय लाभ निम्नानुसार हैं :

विकल्प	फ़ायदे
विकल्प ए	<ul style="list-style-type: none">• वार्षिकी भुगतान की चयनित विधि के अनुसार, वार्षिकी भुगतान वार्षिकीग्राही के जीवित रहने तक शेष-राशियों में किया जाएगा।• वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, कुछ भी देय नहीं होगा और वार्षिकी का भुगतान तुरंत बंद हो जाएगा।

विकल्प बी, सी, डी, ई	<ul style="list-style-type: none"> वार्षिकी भुगतान की चयनित विधि के अनुसार, वार्षिकी भुगतान वार्षिकीग्राही के जीवित रहने तक शेष-राशियों में किया जाएगा। 5/10/15/20 वर्ष की गारंटीड अवधि के दौरान वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर गारंटीड अवधि के समाप्त होने तक नामिति(यों) को वार्षिकी देय होगी। गारंटी अवधि के बाद वार्षिकीधारक की मृत्यु पर कुछ भी देय नहीं होगा और वार्षिकी का भुगतान होना तुरंत बंद हो जाएगा।
विकल्प एफ	<ul style="list-style-type: none"> वार्षिकी भुगतान की चयनित विधि के अनुसार, वार्षिकी भुगतान वार्षिकीग्राही के जीवित रहने तक शेष-राशियों में किया जाएगा। वार्षिकीधारक की मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान होना तुरंत बंद हो जाएगा और अनुच्छेद 9 में निर्दिष्ट किए अनुसार वार्षिकीधारक द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को क्रय मूल्य देय होगा।
विकल्प जी	<ul style="list-style-type: none"> वार्षिकी भुगतान की चयनित विधि के अनुसार, वार्षिकी भुगतान वार्षिकीग्राही के जीवित रहने तक शेष-राशियों में किया जाएगा। पूर्ण हुए प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के लिए वार्षिकी के भुगतान में 3% प्रति वर्ष की एक सरल दर से वृद्धि होगी। वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, कुछ भी देय नहीं होगा और वार्षिकी का भुगतान तुरंत बंद हो जाएगा।
विकल्प एच	<ul style="list-style-type: none"> वार्षिकी भुगतान की चयनित विधि के अनुसार, लागू वार्षिकी भुगतान प्राथमिक वार्षिकीग्राही के जीवित रहने तक शेष-राशियों में किया जाएगा। प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु होने पर वार्षिकी राशि का 50% जीवित द्वितीयक वार्षिकीधारक को तब तक देय होगा, जब तक द्वितीयक वार्षिकीधारक जीवित है। द्वितीयक वार्षिकीधारक की आगे मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान होना बंद हो जाएगा। यदि द्वितीयक वार्षिकीधारक की मृत्यु प्राथमिक वार्षिकीधारक से पहले हो जाती है, तो उसे वार्षिकी का भुगतान होना भुगतान जारी रहेगा और यह प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर बंद हो जाएगा।
विकल्प आई	<ul style="list-style-type: none"> वार्षिकी भुगतान की चयनित विधि के अनुसार जब तक प्राथमिक वार्षिकीधारक और/या द्वितीयक वार्षिकीधारक जीवित है, वार्षिकी राशि की 100% राशि का भुगतान शेष के रूप में किया जाएगा। अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान होना तुरंत बंद हो जाएगा और कुछ भी देय नहीं होगा।
विकल्प जे	<ul style="list-style-type: none"> वार्षिकी भुगतान की चयनित विधि के अनुसार, प्राथमिक वार्षिकीग्राही और/या द्वितीयक वार्षिकीग्राही के जीवित रहने तक लागू वार्षिकी राशि की 100% राशि का भुगतान शेष-राशियों में किया जाएगा। अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर, उसे होने वाला वार्षिकी का भुगतान तुरंत बंद हो जाएगा और अनुच्छेद 9 में निर्दिष्ट प्राथमिक वार्षिकीधारक द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को क्रय मूल्य देय होगा।

4. पात्रता मापदंड :

i. न्यूनतम क्रय मूल्य*:

प्रवेश के समय आयु (पूर्ण वर्षों में)	न्यूनतम क्रय मूल्य
25 वर्ष से 29 वर्ष	₹10,00,000/-
30 वर्ष और उससे अधिक	₹1,00,000/- जो नीचे निर्दिष्ट न्यूनतम वार्षिकी के अधीन है.

टिप्पणी :

- जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है, न्यूनतम वार्षिकी मानदंड को पूरा करने के लिए उपर्युक्त न्यूनतम क्रय मूल्य में उचित वृद्धि की जाएगी।

- ₹1,50,000/- से कम क्रय मूल्य के लिए, इस योजना के अंतर्गत दी गई वार्षिकी दरों को नीचे अनुच्छेद 7 में दिए गए कटौती कारकों के साथ कम किया जाएगा।
- ii. अधिकतम क्रय मूल्य : कोई सीमा नहीं
- iii. प्रवेश के समय न्यूनतम आयु : 25 वर्ष (पूर्णकृत), जो न्यूनतम क्रय मूल्य के अधीन है, जैसा कि ऊपर 4(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट है।
- iv. प्रवेश पर अधिकतम आयु : विकल्प एफ को छोड़कर 85 वर्ष (पूर्णकृत) विकल्प एफ के लिए 100 वर्ष (पूर्णकृत)
- v. न्यूनतम वार्षिकी* :

वार्षिकी विधि	मासिक	त्रैमासिक	अर्द्ध-वार्षिक	वार्षिक
न्यूनतम वार्षिकी	₹1000 प्रति माह	₹3000 प्रति तिमाही	₹6000 प्रति अर्द्ध-वार्षिक	₹12000 प्रति वर्ष

संयुक्त जीवन : संयुक्त जीवन वार्षिकी परिवार (जैसे दादा-दादी, माता-पिता, बच्चे, पोते-पोती) या जीवनसाथी या सहोदरों के किन्हीं दो स्वशास्त्रीय संतति/पूर्वजों के बीच ली जा सकती है।

***अपवादात्मक मामले, जहाँ ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम वार्षिकी एवं न्यूनतम क्रय मूल्य लागू नहीं होगा :**

- i. यदि इस योजना को निम्नांकित अनुच्छेद 9.iii में निर्दिष्ट किए अनुसार आश्रित विकलांग (दिव्यांगजन) के लाभ के लिए खरीदा गया है, तो प्रस्ताव न्यूनतम वार्षिकी पर किसी भी प्रतिबंध के बिना अनुमत होगा और ऐसे मामलों में न्यूनतम क्रय मूल्य ₹50,000/- होगा. ऐसे मामलों में, वार्षिकी दरें अनुच्छेद 7 में निर्दिष्ट किए अनुसार किसी न्यूनन कारक के बिना लागू होंगी.
- ii. यदि इस योजना को निम्नांकित अनुच्छेद 9.ii में निर्दिष्ट किए अनुसार पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित एनपीएस के सबक्राइबर्स द्वारा निर्गम पर खरीदा गया है, तो न्यूनतम वार्षिकी एवं न्यूनतम क्रय मूल्य पर प्रतिबंध समय-समय पर यथा संशोधित पीएफआरडीए नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा.

5. वार्षिकी भुगतान की विधि :

उपलब्ध वार्षिकी की विधियाँ हैं वार्षिक, अर्द्ध-वार्षिक, त्रैमासिक एवं मासिक. वार्षिकी का भुगतान शेष-राशियों में होगा, यानी वार्षिकी भुगतान पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि से 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह और 1 माह पश्चात होगा, जो कि वार्षिकी भुगतान की विधि क्रमशः वार्षिक, अर्द्ध-वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक होने पर निर्भर होगा.

6. प्रोत्साहन राशियाँ :

इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित प्रोत्साहन-राशियाँ उपलब्ध हैं :

- i. अधिक क्रय मूल्य के लिए प्रोत्साहन :

वार्षिकी दर में वृद्धि के माध्यम से उच्च क्रय मूल्य हेतु प्रोत्साहन क्रय मूल्य के चार स्लैबों के लिए प्रदान किया जाता है 1) ₹5,00,000 से रु. 9,99,999 2) ₹10,00,000 से ₹24,99,999 3) ₹25,00,000 से ₹99,99,999 4) ₹1,00,00,000 और उससे अधिक।

उच्च क्रय मूल्य के लिए प्रोत्साहन राशि क्रय मूल्य स्लैब और वार्षिकी भुगतान की विधि पर निर्भर होती है। जैसे-जैसे क्रय मूल्य निचले स्लैब से क्रय मूल्य के उच्च स्लैब में जाता है, प्रोत्साहन राशि बढ़ती जाती है। वार्षिकी भुगतान की आवृत्ति में कमी के साथ प्रोत्साहन राशि भी बढ़ती है।

- ii. मौजूदा पॉलिसीधारक और मृत पॉलिसीधारक के नामांकित/लाभार्थी के लिए प्रोत्साहन राशि :

इस योजना के अंतर्गत मृत पॉलिसीधारक के नामांकित या लाभार्थी सहित मौजूदा पॉलिसीधारकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सारणीबद्ध वार्षिकी दर में वृद्धि के माध्यम से प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार होगी, बशर्ते कि नई पॉलिसी किसी अभिकर्ता/कॉर्पोरेट एजेंट/ब्रोकर/बीमा विपणन फर्म/पीओएसपी-एलआई/सीपीएससी-एसपीवी के माध्यम से ली गई हो :

पॉलिसीधारक की श्रेणी	प्रोत्साहन राशि (%)
यदि किसी मौजूदा पॉलिसीधारक के पास निगम की कोई ऐसी पॉलिसी है, जो इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से एक वर्ष के भीतर परिपक्व हो गई है और उसके द्वारा अपने जीवन और/या परिवार के किसी सदस्य के जीवन पर इस योजना को खरीदा जाता है; या यदि यह योजना निगम के मृत पॉलिसीधारक के नामांकित/लाभार्थी द्वारा खरीदी जाती है, जहां मृत्यु की तिथि इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से एक वर्ष के भीतर है; या यदि यह योजना किसी मौजूदा पॉलिसीधारक द्वारा खरीदी गई है, जिसके पास निगम की कोई चालू पॉलिसी है।	0.15%

iii. प्रत्यक्ष विक्रय के लिए प्रोत्साहन राशि :

अभिकर्ता/कॉर्पोरेट एजेंट/ब्रोकर/बीमा विपणन फर्म/पीओएसपी-एलआई/सीपीएससी-एसपीवी की संबद्धता के बिना प्रत्यक्ष विक्रय की गई पॉलिसियों के लिए वार्षिकीधारक को सारणीबद्ध वार्षिकी दर में वृद्धि के माध्यम से प्रोत्साहन राशि नीचे उल्लेखित अनुसार उपलब्ध होगी :

बीमा राशि	पॉलिसीधारक की श्रेणी	प्रोत्साहन राशि	
		₹10,00,000/- से कम क्रय मूल्य	₹10,00,000/- से अधिक क्रय मूल्य
ए.	ऑनलाइन विक्रय - नया ग्राहक	2.00%	2.50%
बी.	ऑनलाइन विक्रय - मौजूदा पॉलिसीधारक और मृत पॉलिसीधारक के नामांकित/लाभार्थी मौजूदा पॉलिसीधारक और मृत पॉलिसीधारक के नामांकित/लाभार्थी के संबंध में विवरणों और शर्तों के लिए उपरोक्त अनुच्छेद 6.ii देखें।	2.15%	2.50%
सी.	क्यूआरओपीएस	2.00%	2.50%
डी.	एनपीएस सब्सक्राइबर	3.00%	3.00%

ग्राहक द्वारा उपरोक्त प्रोत्साहन राशियों में से केवल एक का विकल्प चुना जा सकता है, यानी या तो ऑनलाइन विक्रय - नया ग्राहक या ऑनलाइन विक्रय - मौजूदा पॉलिसीधारक और मृत पॉलिसीधारक के नामांकित / लाभार्थी या क्यूआरओपीएस या एनपीएस सब्सक्राइबर।

7. ₹ 1,50,000/- से कम क्रय मूल्य के लिए कटौती कारक :

₹1,50,000/- से कम क्रय मूल्य के लिए, इस योजना के अंतर्गत दी गई वार्षिकी दरें कटौती कारकों के साथ कम कर हो जाएंगी।

क्रय मूल्य की दो स्लैब के लिए कटौती कारक प्रदान किया जाता है, पहली स्लैब ₹1,00,000 से ₹1,49,999 और दूसरी स्लैब ₹1,00,000 से कम। पहली स्लैब के लिए कटौती कारक दूसरी स्लैब की तुलना में कम है।

ऊपर निर्दिष्ट कटौती कारक उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जब इस योजना को आश्रित विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) के लाभ के लिए खरीदा गया हो।

8. उदाहरण :

क्रय मूल्य	: ₹10 लाख (लागू करों को छोड़कर)
प्रवेश के समय वार्षिकीधारक की आयु	: 60 वर्ष (पूर्णकृत)
वार्षिकी विधि	: वार्षिक
प्रवेश के समय द्वितीयक वार्षिकीधारक की आयु	: 55 वर्ष (पूर्णकृत) (केवल संयुक्त जीवन वार्षिकी के लिए लागू)

वार्षिकी विकल्प	वार्षिकी राशि (रु.)
विकल्प ए : आजीवन तत्काल वार्षिकी।	91,100
विकल्प बी : 5 वर्ष की गारंटीड अवधि और उसके बाद आजीवन तत्काल वार्षिकी।	90,400
विकल्प सी: 10 वर्ष की गारंटीड अवधि और उसके बाद आजीवन तत्काल वार्षिकी।	88,600
विकल्प डी: 15 वर्ष की गारंटीड अवधि और उसके बाद आजीवन तत्काल वार्षिकी।	85,800
विकल्प ई: 20 वर्ष की गारंटीड अवधि और उसके बाद आजीवन तत्काल वार्षिकी।	82,300
विकल्प एफ : क्रय मूल्य की वापसी के साथ आजीवन तत्काल वार्षिकी।	67,700
विकल्प जी : 3% प्रति वर्ष की साधारण दर से वृद्धिगत आजीवन तत्काल वार्षिकी।	73,700
विकल्प एच: संयुक्त जीवन आजीवन तत्काल वार्षिकी, प्राथमिक वार्षिकीधारक की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीधारक को 50% वार्षिकी के प्रावधान के साथ।	83,800
विकल्प आई : संयुक्त जीवन आजीवन तत्काल वार्षिकी, किसी भी एक वार्षिकीधारक के जीवित रहने तक 100% वार्षिकी देय होने के प्रावधान के साथ।	77,600
विकल्प जे : संयुक्त जीवन आजीवन तत्काल वार्षिकी, किसी भी एक वार्षिकीधारक के जीवित रहने तक 100% वार्षिकी देय होने एवं अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर क्रय मूल्य की वापसी के प्रावधान के साथ।	66,900

उपरोक्त विकल्पों के अंतर्गत मृत्यु लाभ के लिए कृपया उपरोक्त अनुच्छेद 3 देखें।

9. विकल्प :

i) मृत्यु हितलाभ के भुगतान के लिए उपलब्ध विकल्प:

वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत, जहाँ मृत्यु पर हितलाभ देय है, यानी विकल्प एफ एवं विकल्प जे, वार्षिकीग्राही(यों) को नामिति(यों) को मृत्यु हितलाभ के भुगतान हेतु निम्नांकित विकल्पों में से कोई एक चुनना होगा। इसके पश्चात नामिति (यों) को मृत्यु दावे की राशि का भुगतान वार्षिकीग्राही(यों) द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार होगा और इसमें नामिति(यों) को कोई भी परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

- **एकमुश्त मृत्यु लाभ :** इस विकल्प के अंतर्गत संपूर्ण क्रय मूल्य नामिति(यों) को एकमुश्त राशि के रूप में देय होगा।
- **मृत्यु लाभ का वार्षिकीकरण :** इस विकल्प के अंतर्गत मृत्यु पर देय लाभ राशि, यानी क्रय मूल्य का उपयोग नामिति(यों) के लिए निगम से एक त्वरित वार्षिकी खरीदने हेतु किया जाएगा। मृत्यु दावा दाखिल करने पर नामिति(यों) को देय वार्षिकी राशि नामिति(यों) की आयु पर एवं वार्षिकीग्राही (संयुक्त जीवन वार्षिकी के मामले में अंतिम उत्तरजीवित) की मृत्यु होने की तिथि पर प्रचलित त्वरित वार्षिकी दरों पर आधारित होगी। इस विकल्प का चुनाव मृत्यु पर देय लाभ राशि के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए किया जा सकता है। हालाँकि प्रत्येक नामिति(यों) के लिए वार्षिकी भुगतान उस समय उपलब्ध वार्षिकी योजना की पात्रता शर्तों एवं वार्षिकियों के लिए न्यूनतम सीमाओं पर तब प्रचलित विनियामक प्रावधानों के अधीन होगा। वर्तमान में लागू विनियमन है आईआरडीएआई अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमाएँ।
- **किस्तों में :** इस विकल्प के अंतर्गत, मृत्यु पर देय लाभ राशि, यानी क्रय मूल्य को एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 वर्ष की चयनित अवधि में किस्तों में प्राप्त किया जा सकता है। इस विकल्प का उपयोग इस पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु लाभ के लिए किया जा सकता है। वार्षिकीधारक(कों) द्वारा चयनित राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो एक निश्चित मूल्य के रूप में, या फिर देय कुल दावा प्राप्तियों के एक प्रतिशत के रूप में हो सकती है। इन किस्तों का भुगतान चयनित किए अनुसार वार्षिक या अर्द्ध-वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतरालों पर अग्रिम में किया जाएगा, जो कि निम्नानुसार भुगतानों की विभिन्न विधियों के लिए न्यूनतम किस्त राशि के अधीन है:

किस्त भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	₹ 5,000/-
त्रैमासिक	₹ 15,000/-
अर्धवार्षिक	₹ 25,000/-
वार्षिक	₹ 50,000/-

यदि शुद्ध दावा राशि वार्षिकीग्राही(यों) द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि प्रदान करने हेतु आवश्यक राशि से कम होती है, तो दावा प्राप्ति का भुगतान केवल एकमुश्त राशि के रूप में होगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 माह की अवधि के दौरान आने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, किस्त राशि निर्धारित करने हेतु लागू ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्ष की अर्द्धवार्षिक जी-सेक दर से 200 आधार पॉइंट घटाकर उससे कम नहीं होगी जहाँ 10 वर्ष की अर्द्ध-वार्षिक जी-सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायिक दिवस की दर के अनुरूप होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक शुरू होने वाली 12 माह की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना हेतु लागू ब्याज दर 5.07% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

ii) एनपीएस सबस्क्राइबर द्वारा त्वरित वार्षिकी प्राप्त करने के विकल्प:

एनपीएस सबस्क्राइबरों के लिए पीएफआरडीए विनियमों के अनुसार अनुमत वार्षिकी विकल्प उपलब्ध होंगे।

यदि कोई शासकीय क्षेत्र एनपीएस सबस्क्राइबर द्वारा एक पूर्व-निर्धारित विकल्प के रूप में इस योजना को खरीदा जाता है, तो उस सबस्क्राइबर के लिए विकल्प जे उपलब्ध होगा, जिसका(की) जीवनसाथी खरीदने की तिथि पर जीवित हो। सबस्क्राइबर के जीवनसाथी के न होने पर उसके लिए विकल्प एफ उपलब्ध होगा। सबस्क्राइबर और उसके/की जीवनसाथी की मृत्यु होने के बाद, क्रय मूल्य का उपयोग जीवित आश्रित माता/पिता के जीवन पर वार्षिकी विकल्प एफ या जे खरीदने हेतु किया जाएगा और वह उस समय उपलब्ध वार्षिकी योजना की पात्रता शर्तों के अधीन होगा।

विशिष्ट योजना विशेषताओं के अधीन होकर, लागू पूर्व-निर्धारित विकल्प सहित अन्य सभी नियम व शर्तें, इस संबंध में समय-समय पर पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा जारी नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, और परिपत्रों आदि के अनुसार होंगे।

iii) आश्रित दिव्यांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) के लाभ के लिए योजना लेने हेतु विकल्प:

यदि प्रस्तावक का/की कोई आश्रित विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) है, तो यह योजना नामिति/द्वितीयक वार्षिकीधारक के रूप में दिव्यांगजन के लाभ के लिए, जो कि रु. 50,000/- के न्यूनतम क्रय मूल्य के अधीन है, जिसके साथ न्यूनतम वार्षिकी भुगतान और प्रवेश पर न्यूनतम आयु (दिव्यांगजन के जीवन के लिए) पर कोई सीमा नहीं है, निम्नांकित तरीकों से खरीदी जा सकती है :

ए) प्रस्तावक अपने स्वयं के जीवन पर "तत्काल वार्षिकी, क्रय मूल्य की वापसी के साथ" (विकल्प एफ) खरीद सकता/सकती है. वार्षिकीधारक (प्रस्तावक) की मृत्यु होने की स्थिति में, मृत्यु लाभ का उपयोग अनिवार्य रूप से दिव्यांगजन के जीवन पर तत्काल वार्षिकी खरीदने (वार्षिकीधारक द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार) हेतु किया जाएगा।

बी) प्रस्तावक द्वितीयक वार्षिकीग्राही के रूप में दिव्यांगजन के साथ संयुक्त जीवन वार्षिकी (विकल्प आई या जे) खरीद सकता/सकती है।

नामिति/द्वितीयक वार्षिकीग्राही के रूप में दिव्यांग (दिव्यांगजन) आश्रित व्यक्ति की पात्रता निर्धारित करने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित "बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016" के अनुच्छेद 2(आर) या इस संबंध में किसी अन्य लागू अधिनियम में नियत किए अनुसार "दिव्यांग व्यक्ति " के अर्थ को संदर्भित किया जाना चाहिए।

10. क्यूआरओपीएस (क्वालिफाइंग रिकॉग्नाइज्ड ओवरसीज पेंशन स्कीम) के रूप में खरीदी गई योजना :

इस योजना को एचएमआरसी (हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स) द्वारा निर्धारित लिस्टिंग और नियमों और शर्तों के अधीन यूके कर मुक्त संपत्तियों के हस्तांतरण के माध्यम से

क्यूआरओपीएस के रूप में खरीदा जा सकता है, जैसे :

- i. न्यूनतम आयु 55 वर्ष होगी।
- ii. यदि मुक्त अवलोकन अवधि के दौरान पॉलिसी रद्द कर दी जाती है, तो रद्दीकरण से प्राप्त आय केवल उस फंड हाउस में वापस स्थानांतरित की जाएगी जहां से पैसा प्राप्त हुआ था।
- iii. एचएमआरसी के अन्य नियम और शर्तें भी समय-समय पर लागू होंगे।

11. पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन-लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी-एलआई) और कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर (सीपीएससी-एसपीवी) के माध्यम से खरीदी गई योजना :

इस प्लान को पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन्स-लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी-एलआई) और सीपीएससी-एसपीवी के माध्यम से खरीदा जा सकता है। अनुमत वार्षिकी विकल्प, पात्रता शर्तें और अन्य नियम व शर्तें पीओएस योजनाओं और पीओएसपी-एलआई पर लागू होने वाले आईआरडीएआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों और विनियमों आदि के अनुसार होंगे।

वर्तमान में इस योजना की विशेषताएं/मानदंड/पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं :

तत्काल वार्षिकी विकल्प के अनुमत प्रकार : केवल विकल्प एफ और जे

प्रवेश के समय न्यूनतम आयु : 40 वर्ष (पूर्णकृत)

प्रवेश पर अधिकतम आयु : 70 वर्ष (पूर्णकृत)

12. अभ्यर्पण मूल्य :

केवल निम्नलिखित वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत, पॉलिसी को पॉलिसी के पूरा होने के तीन महीने बाद (यानी पॉलिसी जारी होने की तिथि से 3 महीने) या मुक्त अवलोकन अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, किसी भी समय अभ्यर्पित किया जा सकता है :

- विकल्प एफ : जीवन के लिए त्वरित वार्षिकी, क्रय मूल्य की वापसी के साथ।
- विकल्प जे : जीवन के लिए संयुक्त जीवन त्वरित वार्षिकी, किसी एक वार्षिकीग्राही के उत्तरजीवित रहने तक 100% वार्षिकी देय होने और अंतिम उत्तरजीवित की मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के प्रावधान के साथ।

देय अभ्यर्पण मूल्य पॉलिसी के अभ्यर्पण के समय वार्षिकीधारक की आयु (अंतिम जन्मदिन) पर निर्भर होगा।

यदि चयनित वार्षिकी विकल्प उपरोक्त के अलावा कोई और है, तो पॉलिसी के अभ्यर्पण की अनुमति नहीं होगी।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान पर, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और अन्य सभी लाभ बंद हो जाएंगे।

अभ्यर्पण मूल्य समीक्षा योग्य है और इसका निर्धारण आईआरडीएआई की पूर्व स्वीकृति के अधीन निगम द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

निगम इस संबंध में अपनी नीति के अनुसार समय-समय पर अभ्यर्पण की शर्तों की समीक्षा कर सकता है।

एनपीएस या क्यूआरओपीएस के मामले में, अभ्यर्पण के प्रावधान संबंधित विनियामक/प्राधिकारी (पीएफआरडीए/एचएमआरसी) के नियमों एवं विनियमों के अनुसार प्रक्रियाओं से संबंधित किन्हीं विशिष्ट प्रावधानों के अधीन होंगे।

ध्यान दें : बीमा पॉलिसी एक दीर्घकालीन अनुबंध होता है, इस कारण पॉलिसी को लंबे समय तक जारी रखने के दृष्टिकोण से लिया जाना चाहिए। हालांकि उपरोक्त विभिन्न वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत अभ्यर्पण करने का प्रावधान है, फिर भी यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पॉलिसी के अभ्यर्पण पर बड़ा नुकसान हो सकता है और इसीलिए पॉलिसी को जारी रखने की सलाह दी जाती है।

13. ऋण:

ऋण लेने की सुविधा पॉलिसी के पूरा होने के तीन महीने बाद (यानी पॉलिसी जारी करने की तिथि से 3 महीने) या मुक्त अवलोकन अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, किसी भी समय उपलब्ध होगी, जो कि उन नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिन्हें निगम द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, पॉलिसी ऋण केवल निम्नलिखित वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत ही स्वीकृत किया जाएगा :

- विकल्प एफ : जीवन के लिए त्वरित वार्षिकी, क्रय मूल्य की वापसी के साथ.
- विकल्प जे : जीवन के लिए संयुक्त जीवन त्वरित वार्षिकी, किसी एक वार्षिकीग्राही के उत्तरजीवित रहने तक 100% वार्षिकी देय होने और अंतिम उत्तरजीवित की मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के प्रावधान के साथ।

ऋण की अधिकतम राशि, जो पॉलिसी के अंतर्गत प्रदान की जा सकती है, वह ऐसी होगी कि ऋण पर देय प्रभावी वार्षिक ब्याज राशि वार्षिक वार्षिकी राशि के 50% से अधिक नहीं हो और वह अभ्यर्पण मूल्य के अधिकतम 80% के अधीन होगी। बकाया ऋण की वसूली निर्गम के समय पर दावा प्राप्ति से की जाएगी।

1 मई से 30 अप्रैल की अवधि में 12 माह के दौरान शुरू होने वाले सभी ऋणों के लिए ऋण ब्याज, वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्ष G-Sec दर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्द्ध-वार्षिक में 300 आधार पॉइंट जोड़कर उससे अधिक नहीं होगी। 10 वर्ष G-Sec दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापारिक दिवस के अनुसार होगी। संगणित ब्याज दर ऋण की पूर्ण अवधि के लिए लागू होगी।

1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के लिए अर्द्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि दर 9.50% प्रति वर्ष है।

पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज दर के निर्धारण के आधार में कोई भी परिवर्तन आईआरडीआई के पूर्व-अनुमोदन के अधीन होगा।

14. कर :

ऐसी बीमा योजनाओं पर यदि कोई वैधानिक कर भारत सरकार या भारत की किसी अन्य संवैधानिक संस्था द्वारा कर लगाया जाता है तो वह समय-समय पर लागू कर संबंधी कानूनों और कर की दर के अनुसार होगा।

पॉलिसीधारक को इस पॉलिसी के अंतर्गत देय क्रय मूल्य पर वर्तमान दरों के अनुसार किन्हीं लागू करों की राशि का भुगतान करना होगा, जिसकी वसूली पॉलिसी धारक द्वारा देय क्रय मूल्य के अतिरिक्त अलग से की जाएगी। भुगतान किए गए कर की राशि को इस योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना हेतु विचाराधीन नहीं लिया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत चुकाई जाने वाली प्रीमियम(मों) और देय लाभों पर आयकर लाभ/निहितार्थों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

15. मुक्त अवलोकन अवधि :

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के “नियमों व शर्तों” से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि पॉलिसी बांड की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, आपत्तियों का कारण बताते हुए निगम को वापस किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति पर, निगम द्वारा पॉलिसी निरस्त कर दी जाएगी और स्टाम्प शुल्क एवं भुगतान हो चुकी वार्षिकी, यदि कोई हो, की कटौती करने के बाद भुगतान किया गया क्रय मूल्य वापस लौटा दिया जाएगा। पॉलिसी पर निम्नानुसार व्यवहार होगा:

ए) पृथक त्वरित वार्षिकी पॉलिसियों के लिए: निरस्तीकरण से हुई प्राप्ति पॉलिसी धारक को लौटा दी जाएगी।

बी) यदि पॉलिसी किसी अन्य बीमा कंपनी की किसी आस्थगित पेन्शन योजना की प्राप्ति से खरीदी गई है: निरस्तीकरण से हुई प्राप्ति उस बीमा कंपनी को वापस अंतरित कर दी जाएगी।

एनपीएस या क्यूआरओपीएस के मामले में, उपर्युक्त प्रावधान संबंधित विनियामक/प्राधिकारी (पीएफआरडीए/एचएमआरसी) के नियमों एवं विनियमों के अनुसार प्रक्रियाओं से संबंधित किन्हीं विशिष्ट प्रावधानों के अधीन होंगे।

16. शिकायत निवारण प्रणाली:

निगम की:

ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत समाधान अधिकारी हैं। ग्राहकों की शिकायत का शीघ्र समाधान करने के लिए निगम ने अपने कस्टमर पोर्टल (वेबसाइट) <http://www.licindia.in> के माध्यम से ग्राहकोन्मुखी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से पंजीकृत पॉलिसी धारक अपनी शिकायत को सीधे दर्ज करवा सकते हैं तथा उसकी स्थिति को देख भी सकते हैं। ग्राहक अपनी

किसी भी समस्या के समाधान के लिए ई-मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

जो भी दावाकर्ता मृत्यु दावे के इनकार के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं, उनके पास अपना प्रकरण समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केन्द्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति के पास भेजने का विकल्प होता है। एक सेवा-निवृत्त उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय न्यायाधीश प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीएआई की:

यदि ग्राहक जवाब से संतुष्ट नहीं है या 15 दिनों के भीतर हमसे कोई जवाब नहीं मिलने पर ग्राहक द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क किया जा सकता है

- टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीएआई के शिकायत कॉल सेन्टर-बीमा भरोसा य शिकायत निवारण केंद्र) कॉल करके
- complaints@irdai.gov.in पर ई-मेल प्रेषित करके
- <https://bimabharosa.irdai.gov.in> पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके
- कूरियर/पत्र के जरिए शिकायत भेजने का पता: महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे सं. 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबावली, हैदराबाद - 500 032, तेलंगाना।

लोकपाल की:

दावा संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जहाँ ग्राहकों को कम से कम लागत में त्वरित निर्णय मिलता है।

17. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 :

समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

- 1) पॉलिसी की तिथि, यानी पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनरुज्जीवन की तिथि या पॉलिसी पर हितलाभ की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के पश्चात जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
- 2) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनरुज्जीवन की तिथि या पॉलिसी के हितलाभ की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के भीतर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है।

बशर्ते, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को ऐसे आधारों एवं सामग्रियों की लिखित सूचना देनी होगी, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I : इस उप-धारा के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति "धोखाधड़ी" से आशय बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु प्रभावित करने की मंशा से निम्नांकित में से कोई भी कृत्य किया जाता है:

- ए) सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;
- बी) उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, और उसे ऐसे तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;
- सी) धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं
- डी) ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

स्पष्टीकरण II : बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का यह कर्तव्य है, बोलने से चुप रहना, या अन्यथा उसकी खामोशी, अपने आप में बोलने के बराबर हो।

- 3) उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी

को धोखाधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमित व्यक्ति/ लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जान-बूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था :

बशर्ते धोखाधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण - कोई व्यक्ति जो बीमा की अनुबन्ध का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है, उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

- 4) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी करने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनरुज्जीवन की तिथि या पॉलिसी के हितलाभ की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनरुज्जीवित की गई थी या हितलाभ जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था:

बशर्ते बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह निर्णय लिया गया है।

बशर्ते महत्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखाधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा की गई सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितियों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस उप-धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमित व्यक्ति को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

- 5) इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण माँगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी पर केवल इसलिए प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

18. छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 41):

- 1) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो।
- 2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति अर्धदंड का भागी होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू होने वाले, बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न धारा, समय-समय पर यथा संशोधित।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय पर संपर्क करें।

पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.licindia.in पर लॉग ऑन करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों का निवेश करने जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

“भारतीय जीवन बीमा निगम” की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सके। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरंतर एक महत्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।



पंजीकृत कार्यालय :
भारतीय जीवन बीमा निगम
केन्द्रीय कार्यालय,
योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400021.
वेबसाइट: www.licindia.in
पंजीकरण संख्या : 512